

रजिस्टर्ड / 01/06/19

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैंक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

दिनांक :- 14.02.2019

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 12493 / 2775

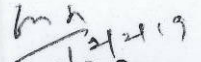
कार्यालय आदेश

श्री /श्रीमती / सुश्री सुमन मीणा [लिंक न. 12493] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन (एक्स काडर), जयपुर - [1000353] को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।
दिनांक 05/03/2018 से 15/03/2018 तक 11 दिवस

कुल 11 दिवस

उक्त कुल 11 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री /श्रीमती / सुश्री सुमन मीणा की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे।

स्वाक्षर :- लेखा पुस्तिका /


(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

दिनांक :- 14.02.2019

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 12493 / 2775

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन (एक्स काडर), जयपुर (रजि 01/91/एल) (रजि-लेखा प्रतिलिपि)
2. कोषाधिकारी जयपुर
3. श्री /श्रीमती / सुश्री सुमन मीणा [12493] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन (एक्स काडर), जयपुर
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)